

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निटेशफ, बुन्देलखण्ड वृत्त, ३०५०, झांसी
 पत्रांक- २ ४। /३३-१ / दिनांक, झांसी, जुलाई, १७, २०१९

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
 वन (संरक्षण) अधिनियम १९८०
 उ०प्र० लखनऊ।


विषय- जनपद झांसी में झांसी-बर्हीना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या २६ के किमी० संख्या ०३-११ तक झांसी-हंसारी से खैलार की सीमा तक दोनों पटरी पर चौड़ीकरण/चार-लेन में प्रभावित १४.८० हेठो संरक्षित वन भूमि के गेर वानिकी प्रयोग एवं वाधक ९४५ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम, १९८० की धारा-२ के अन्तर्गत वन भूमि के गेर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु।

- संदर्भ -**
१. यन एवं वन्य जीव अनुभाग-२ उ०प्र०, शासन लखनऊ का पत्रांक पी-९२/८४-२-२०१९-८००(६४)/२०१९, दिनांक ०९.०७.२०१९।
 २. आपका पत्रांक- ६८/११-सी०-एफ०पी०/य०पी०/रोड/३९८२७/२०१९ दिनांक ०९.०७.२०१९।
 ३. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक २६७/१५-१, दिनांक १९.०७.२०१९।
 ४. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक २६७/१५-१, दिनांक १९.०७.२०१९।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रश्नगत प्रस्ताव में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-२, उ०प्र०, शासन लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक ०९.०७.२०१९ द्वारा प्राप्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी झांसी द्वारा अपने पत्रांक २६७/१५-१ दिनांक १९.०७.२०१९ (प्रति संलग्न) से निराहित प्रारूप में इस कार्यालय में संस्थुति सहित प्रेषित किया गया है।

अतः संदर्भित पत्र से विषयक प्रकरण में प्राप्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर संस्थुति सहित अधेर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
 संलग्नक- प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक
 २६७/१५-१ दिनांक १९.०७.२०१९ की छायाप्रति
 एवं मूल अभिलेख तीन प्रतियों में।

भवदीय
 | १९.७.१९
 (१०को०सिंह)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
 बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पूछांकन संख्या- /समादिनांक|

- प्रतिलिपि-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
१. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी।
 २. अधिकारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन विंग) लोक निर्माण विभाग झांसी को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण से भिज किसी अभियन्ता को इस कार्यालय से वाचित संशोधित सूचना प्राप्त कराकर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का काट करें।

(१०को०सिंह)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
 बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी